मध्य प्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक १९ जून, १९७४ क्रमांक १७७६ / फ – १ – ३० / ३२ तीस / ७४ मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ (१९७३ के क्रमांक २३) की धारा १३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु राज्य शासन ने भोपाल निवेश क्षेत्र बनाया है, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिभाषित की गई हैं : –

अनुसूची

भोपाल निवेश क्षेत्र की सीमाए

१– उत्तर : – ग्राम भैंसा खेड़ी (भाग) बैरागढ़ कलां (भाग) बेहटा, नयापुरा, सिगार चोली, नेवरी (भाग) निशातपुरा, दसल्ली, करहोद कलां, रैंलाखेड़ी, मालीखेड़ी, खेजरा बरामद, महोली, दामखेड़ा, नरेला–शंकरी, हताईखेड़ा, (भाग) एवं कोकता ग्राम की उत्तरी सीमा तक।

२– पूर्व : – ग्राम कोकता, खजूरी खुर्द, ढबारा, खजूरी कलां, अमरावद खुर्द, कहरपुर (भाग), बग मुगेलिया, जटखेड़ी एवं मिसरोद, ग्राम की पूर्वी सीमा तक।

३– दक्षिण : – ग्राम मिसरोद, बाबड़िया कलां, चूनाभट्टी, सिगपुर, छावनी, कालियासोत मेन्डोरी, बरखेड़ी खुर्द, बरखेड़ी कलां एवं गोरा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।

४– पश्चिम :– ग्राम गोरा, बिशनखेड़ी, बिलखेड़ा एवं भैंसाखेड़ी के भाग की पश्चिम सीमा तक।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही /–एस. एन. जैन
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

प्रतिलिपि सूचना दिनांक २२ फरवरी १९७४ जो की म० प्र० राजपत्र में वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्रों को अंगीकृत करने हेतु प्रकाशित की गई।

यह जनता की सामान्य सूचना हेतु प्रकाशित किया गया है कि धारा २ ई० जिसे धारा २ बी० (३) ई (४) मध्य प्रदेश नगर निवेश अधिनियम १९४८ (१९४८ का अड़सठ) के साथ पढ़ा जावेगा, जो कि मध्य-प्रदेश नगर निवेश अधिनियम (संशोधन) १९४८ (१९४८) के २१ के द्वारा संशोधित किया गया है। निम्न अनुसूची में उल्लिखित स्थानीय क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र तथा वर्तमान भूमि उपयोग रजिस्टर जो कि भूमि के प्रत्येक वर्तमान उपयोग को दर्शाते हैं स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अंगीकार कर लिया गया है। यह अधिसूचना मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है तथा यह इस बात का निर्णायक प्रमाण होगी कि मानचित्र एवं रजिस्टर विधिवत् बनाये गये हैं एवं अंगीकृत किये गये हैं।

स्थानीय क्षेत्रों में स्थित भूमि की अनुसूची

(१) भोपाल नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत सम्पूर्ण भूमि

(२) अधिसूचित क्षेत्र समिति बैरागढ़, भारत भारी विद्युत कारखाना एवं स्थानीय क्षेत्र में आने वाले निम्न ग्रामों के अन्तर्गत सम्पूर्ण भूमि :–

१ लेजरा, बरामद
२ मोहली जागीर
३ दाम खेड़ा
४ साजिदाबाद (भाग)
५ सेमारा कलां (भाग)
६ कोलुवा कलां (भाग)
७ नरेला शंकरी
८ पिपलानी चमारन
९ हताई खेड़ा
१० किकटा
११ खजूरी खुर्द
१२ डोबरा
१३ खजूरी कलां
१४ बरखेरा पठानी
१५ अमरावद खुर्द
१६ बहारपुर
१७ बगमुगेला
१८ बग सेवनिया
२५ खुदागंज
२६ बरखेड़ी खुर्द
२७ बरखेड़ी कलां
२८ सेवनिया गोंड
२९ गोरा
३० बिशरी खेड़ी
३१ अमखेड़ा
३२ कोहीफिजा
३३ बिलखेड़ा
३४ भैंसा खेड़ी (भाग)
३५ बैराघे कलां
३६ बेहा
३७ बोरबढ़
३८ हलालपुर
३९ नयापुरा
४० सिगार चोली
४१ नेवरी
४२ निशातपुरा

१९ अहमदपुर	४३ रसल्ली करहोद
२० जटखेड़ी	४४ छोला
२१ मिसरोद	४५ भमपुर
२२ बावरिया कलां	४६ करहोद कलां
२३ छावनी (चन्दपुरा)	४७ रसला खेड़ा
२४ मेन्डारी	४८ माली खेड़ी

उपरोक्त अंगीकृत मानचित्र व रजिस्टर निम्नलिखित स्थानों पर दिनांक २८ दिसम्बर, १९७२ से १२ जनवरी, १९७३ तक अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगे।

अवलोकन स्थान

कार्यालय, मुख्य नगर निवेशक, शेड नं० १ उत्तरी टी० टी० नगर, भोपाल।

के० कपलिश
मुख्य नगर निवेशक